अति महत्वपूर्ण

संख्या-1/2025/614 /सैतालीस-का-5-2024-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **17-12-2024**

विषयः- **मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 09/2023/418/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार 31.01.2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए। वर्ष-2024 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 01.01.2025 से क्रियाशील हो जाएगी।

3- कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि पोर्टल पर दिनांक 31.01.2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा इस संबंध में दिनांक 01.02.2025 एवं उसके पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जिन विभागों / कार्मिकों को पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गयी थी, उन्हें प्रदान की गयी छूट अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

5- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
15. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in